

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 150208

पटना, दिनांक 30/05/2013

ग्रा0वि0- 8(क)-132/2009 (C95-E)

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार, पटना ।

विषय:- विभाग द्वारा अस्थायी चयनित (Provisionally Selected) लोकपाल के संबंध में अनापत्ति/स्वच्छता प्रमाण प्रेषण करने के संबंध में ।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय पत्रांक 148756 दिनांक 20/05/2013 द्वारा के संबंध में श्री यन्मोहा सिंह, मैदानिबूत अपर सचिव, निर्बंध एवं उत्पाद मद्यनिषिध विभाग, पटना अनापत्ति/स्वच्छता प्रमाण पत्र की मांग की गई थी जो अद्यतन अप्राप्त है । अनापत्ति/स्वच्छता प्रमाण-पत्र अप्राप्त रहने की स्थिति में विभाग द्वारा चयन बाधित है जिससे अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

आपसे पुनः अनुरोध है कि 15 दिनों के अंदर अनापत्ति/स्वच्छता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके । इस अवधि में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर तदर्थ तौर पर चयन कर लिया जायेगा । उक्त अवधि में कोई प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर तदर्थ तौर पर चयन की कार्रवाई की जायेगी ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाये ।

विश्वासभाजन


(अमृत लाल मीणा)
सचिव

ole